B.M.A College Baheri Darbhanga (L.N.M.U)
BA (Hons) part-1 पेपर-1
Date 31, मार्च
Dr Manoj Kumar Sah
Deptt of Pol-Sci

नागरिक तथा विदेशी

आज के समाज में यह अनिवार्य नहीं है कि राज्य में केवल नागरिक ही रहते हों नागरिकों के अतिरिक्त राज्य में दूसरे लोग भी रह सकते हैं जिनकी राज्य के प्रति निष्ठा संदेहग्रस्त हो तथा हो सकता है और वे किसी कारण राज्य में रह रहे हों। ऐसे लोगों को विदेशी कहते हैं। प्रत्येक ऐसे विदेशी के लिए राज्य के कानूनों का पालन करना आवश्यक है जिसमें वह रह रहा है तथा उसे राज्य द्वारा लागू किए गए करों को देना भी आवश्यक है, राज्य उसके जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा करता है यदि वह कोई ऐसा कार्य नहीं करता है जो राज्य के हितों के विरुद्ध हो।

विदेशी को किसी भी समय राज्य छोड़ने को कहा जा सकता है। जब सरकार द्वारा यह अनुभव किया जाता है कि उसका आचरण, वर्ताव अथवा कार्य राज्य के हितों के अनुकूल नहीं है। देश में रहने की अवधि में उसको राजनैतिक अधिकार नहीं दिये जाते हैं तथा इसलिए वह कोई सरकारी पद भी ग्रहण नहीं कर सकता। संक्षेप में हम नागरिक तथा विदेशी में निम्नलिखित भेद देख सकते हैं—

(1) राजनैतिक अधिकारों का अभाव → एक नागरिक को सब राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते हैं इसलिए वह किसी भी निर्वाचित पद के लिए चुनाव लड़ सकता है तथा चुने जाने पर पदग्रहण कर

(2) अपने राज्य द्वारा संरक्षण → एक नागरिक को अपने राज्य द्वारा की गई अनुचित सरकारी के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होती है परन्तु जब वह दूसरे देश में है तो अपने राज्य से ऐसी सुरक्षा की माँग नहीं कर सकता।

(3) स्थायी निवास का न होना जब कि एक नागरिक को अपने राज्य में स्थायी रूप से रहने का अधिकार है एक विदेशी को ऐसा कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता। यह राज्य की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किसी व्यक्ति को राज्य में रहने दे अथवा नहीं। एक विदेशी अधिकार से राज्य में रहने का दावा नहीं कर सकता है।